न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/03/2012	06–06–2012	29–11–2019

01– राजपाल पुत्र हरिसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोड़ी तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।

–प्रार्थी

बनाम

01– कैलाश पुत्र श्री विशम्बर जाति खटीक
02– पप्पू पुत्र श्री विशम्बर जाति खटीक
03– संतरा पत्नी श्री विशम्बर जाति खटीक
04– कौशल्या पत्नी श्री विशम्बर जाति खटीक
05– लीली पुत्री श्री विशम्बर जाति खटीक निवासी ग्राम मोरोड़ी इनयाट तहसील बानसूर जिला अलवर (वारिसान श्रीविशम्बर पुत्र रामनाथ जाति खटीक मृतक)
06– चेयरमैन भूमि आवंटन सलाहकार समिति बानसूर जिला अलवर राज0।
07– तहसीलदार, (भू0अ0) अलवर।

–अप्रार्थी

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) विरूद्ध आदेश दिनांक 18.09.1975

उपस्थितः–
01–श्री अनिल गुप्ता

– वकील प्रार्थी

–:निर्णयः–

अपीलांट ने यह प्रा.पत्र के आदेश दिनांक 18.09.1975 जिसके आराजी खसरा नम्बर 683 रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा में से 04 बीघा बेजा तौर पर अप्रार्थीगण के पिता को आवंटित किया गया, से व्यथित होकर पेश की है। प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि साबिक खसरा नम्बर 484 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा दौराने बन्दोबस्त 2021 में खसरा नम्बर 683 रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा में शामिल कर नये नम्बर वाके ग्राम मोरोड़ी कायम किये गये। जिसमें से 04 बीघा का आवंटन रैस्पो0 सं. 6 द्वारा रैस्पो0 1 लगा0 5 के पिता को आवंटन किया। जिसके नम्बर 683/1 रकबा 04 बीघा कायम किये। दौराने बन्दोबस्त 2059 में खसरा नम्बर 683/1 रकबा 04 बीघा के हाल खसरा नम्बर 864 रकबा 1.01 है0 कायम किये। उक्त आराजी पर आवंटन से पूर्व तथा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

आवंटन के पश्चात् अप्रार्थी के पिता का कभी भी कब्जा नहीं रहा। आराजी मुतनाजा पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से पूर्व तथा उसके पश्चात् प्रार्थी के पड़दादा कालू काबिज रहकर काश्त किया करते थे, जिनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अप्रार्थी सं0 1 लगा0 5 के पिता को मौके पर दखल नहीं दिलाया गया। उक्त आवंटन की कोई सार्वजनिक सूचना गांव में प्रकाशित नहीं करायी गयी। जिससे आवंटन काबिल निरस्त योग्य है। विवादित आराजी पर पूर्व में प्रार्थी के दादा कालू और उनके स्वर्गवास के पश्चात् उनके विरासत का इंतकाल उनके तीनों पुत्रों उमराव, लीला व हजारी के नाम स्वीकार हो गया। जिनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में आ गया तथा मौके पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। लीला व हजारी बिना पत्नी व बिना औलाद के फौत हो गये। जिनका हिस्सा उनके भाई उमराव में निहित हो गया। जिनका भी स्वर्गवास हो गया। जिनके पश्चात् विवादित आराजी प्रार्थी के पिता हरिसिंह को विरासत में प्राप्त हुई, जो ताजिंदगी विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते रहे। जिनका भी देहांत हो चुका है। वर्तमान में प्रार्थी विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी पीडी दर पीडी वारिसों को प्राप्त होती चली आ रही है। बंदोबस्त विभाग को राजस्व रिकॉर्ड में फैरबदल करने का कोई अधिकार नहीं है। बंदोबस्त विभाग द्वार रेकॉर्ड की पुनरावृत्ति करनी चाहिए थी। लेकिन विभाग द्वारा बिना किसी अधिकार कब्जे व मौके के खिलाफ साबिक रेकॉर्ड के विपरित विवादित आराजी को संवत् 2021 में सिवायचक दर्ज कर दिया। इसलिए उसके आगे की जमाबंदीयों में व अन्य राजस्व रेकॉर्ड में विवादित आराजी सिवायचक चली आ रही है। उक्त आवंटित आराजी पर आज भी प्रार्थी का कब्जा मौजूद है। कानूनन आवंटित भूमि पर आवंटन के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत हिस्से पर व दूसरे वर्ष में सालिम आवंटित भूमि पर काश्त किया जाना आवश्यक होता है। लेकिन आवंटन आदेश से आज तक अप्रार्थीगण व उनके पिता द्वारा आवंटित भूमि पर कोई काश्त नहीं की गयी है। ना ही कोई कब्जा रहा है। आवंटन के पश्चात् आवंटित आराजी पर आवंटी को दखल दिलाया जाता है, लेकिन आज तक आवंटी विशम्बर अथवा अप्रार्थी सं. 01 लगा0 05 को कोई दखल नहीं दिलाया गया। आराजी मुतनाजा आज भी प्रार्थी के पिता, दादा व पडदादा के कब्जे काश्त के उपयोग–उपभोग में आ रही है। आवंटी विशम्बर भूमिहिन व गरीब किसान नहीं था। बल्कि साधन सम्पन्न व्यक्ति था। अप्रार्थी सं. 6 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थं भू–आवंटन) अधिनियम 1970 के प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं की गयी है। प्रार्थी को उक्त आवंटन की जानकारी सर्वप्रथम दि0 02.10.2010 को हुई, जब अप्रार्थी सं0 1 लगा. 5 ने प्रार्थी के कब्जे काश्त में रूकावट मजामहत की तथा अपने पिता के नाम आराजी आवंटित करना बताया तथा धमकी दी कि शीघ्र ही उक्त आराजी को दीगर व्यक्तियों को विक्रय करके रहेंगे। नकल प्राप्त कर बिना देरी के प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। अतः प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 18.09.1975 आराजी साबिक खसरा नम्बर 683/1 रकबा 04 बीघा हाल खसरा नम्बर 864 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम मोरोड़ी तहसील बानसूर निरस्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि सवत् 2021 से पूर्व उक्त विवादित आराजी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

कालू पुत्र सरदारा मजकूर दर्ज है। लेकिन बन्दोबस्त विभाग द्वारा उक्त आराजी सिवायचक दर्ज कर दी गयी। जबकि बंदोबस्त विभाग को पूर्व के इन्द्राजात् की पुनरावर्ति करनी चाहिए थी।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र 14(4) स्वीकार किया जाकर भू–आवंटन सलाहकार समिति बानसूर बाबत साबिक खसरा नम्बर 683/1 रकबा 04 बीघा हाल खसरा नम्बर 864 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम मोरोडी इनयाट तहसील बानसूर जिला अलवर का आवंटन निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी बानसूर व तहसीलदार बानसूर को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)